राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर जैसलमेर

(अपीलीय प्राधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

अपील संख्या 01/2019

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री यशोवर्धन शाडिल्य पुत्र श्री भवानी शंकर शर्मा निवासी खागल मौहल्ला, बाड़मेर 344001		अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

:: निर्णय :: **दिनांक : 22–01–2019**

01. अपीलार्थी ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि प्रत्यर्थी ने उसके आवेदन दिनांक 17–10–2018 के द्वारा चाही गई सूचनाएं उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

02. उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी व प्रत्यर्थी को अपना–अपना लिखित कथन प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

03. अपीलार्थी व प्रत्यर्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी ने प्रदत्त समय में अपना लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन कर अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 17–10–2018 से जैसलमेर का रेवेन्यू मैप, फोकस एनर्जी कम्पनी को आवंटित भूमि का आदेश मय नक्शा जमाबंदी की प्रति, विस्फोटक मेगजीन से संबंधित सूचना चाही गई है। अपीलार्थी द्वारा उक्त वांछित सूचना राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम, 1957 /District Manual के अन्तर्गत पूर्व में ही जन क्षेत्र (public domain) में उपलब्ध है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पूर्व में ही जन क्षेत्र होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान के अनुसार अदेय है। माननीय राजस्थान सूचना आयोग ने अपील संख्या 4101/2015 श्री धर्मेन्द्र गौतम अग्रवाल बनाम उप जिला कलेक्टर उपखण्ड अन्ता, जिला बांरा (राज0) में निर्णय दिनांक 08–09–2016 में यह अभिनिर्धारित किया है कि जो सूचना पूर्व में जन क्षेत्र (public domain) में उपलब्ध है, एवं विशिष्टियों की विशिष्टी देकर आदेशों की प्रतियां ली जा सकती है, उसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने का अनुरोध नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी को जिस सूचना की आवश्यकता है उसका पूर्ण विवरण अंकित करते हुए राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम, 1957 /District Manual के तहत पृथक से आवेदन कर एवं विहित शुल्क जमा कराकर संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। इस आलोक में अपील में कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है एवं अपील पत्रावलित किये जाने योग्य है।

04. अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अस्वीकार कर निस्तारित की जाती है।

05. मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर आज दिनांक 22–01–2019 को निर्णय किया गया।

06. निर्णय की प्रतियाँ उभय पक्ष को प्रेषित की जावे।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
जैसलमेर

अपीलान्ट अधिकारी सूचना का अधिकार अधि0 2005

RTI Court / appeal decision - 2017